न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 75/2022

1. चुनसिंह पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी मीठवास तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

आवेदक

बनाम

1. श्रीराम पुत्र नरसाराम जाति जाट निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. राजबाला पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
3. उम्मेद पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी मेघवाल तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
4. किशनलाल पुत्र पूरणमल जाति मेधवाल निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
5. ताराचन्द पुत्र पूरणमल जाति मेघवाल निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
6. रामेश्वल पुत्र पूरणमल जाति मेघवाल निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
7. ग्यारसी पत्नी हरदेवा जाति मेघवाल निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
8. गिरधारी पुत्र हरदेवा जाति मेघवाल निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
9. रामलाल पुत्र हरदेवा जाति मेघवाल निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
10. जैसाराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
11. हरजीराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
12. बैंक ऑफबडौदा शाखा मण्डावा तहसील मण्डावा।
13. बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा।

अनावेदकगण

वकील प्रार्थीगण – श्री मुर्करम अंसारी अधिवक्ता
वकील अप्रार्थीगण सख्या 04 – श्री रवी कुमार अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 06.06.2024

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वाके ग्राम तेतरा तहसील गण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में खेत हाल खाता संख्या 36 के खसरा नम्बर 400 रकबा 1.64 हैक्टर भूमि स्थित है जो कि प्रार्थी की अकेले की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।वाके ग्राम तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में खेत हाल खाता संख्या 72 के खसरा नम्बर 399 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 399/624 रकबा 0.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.79 हैक्टर भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।वाके ग्राम तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में खेत हाल खाता संख्या 29 के खसरा नम्बर 269 रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 308 रकबा 1.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 401 रकवा 2.70 हैक्टर भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थीगण संख्या 3 लगायत 9 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।वाके ग्राम तेतरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में खेत हाल खाता संख्या 260 के खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6क के तहत EX PARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 ,11 लगायत 14 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 02 लगायत 10 की ओर से अभिभाषक उपस्थित। अनावेदक संख्या 03, 07 लगायत 10 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही होने पर जबाब देही बन्द की गई। अनावेदक 02, 04, 05 एवं 06 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 1, 02, 03 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। क्योकि खं.नं. 400 में आने जाने के लिए खेत खसरा नम्बर 399 की सिंव से होकर खसरा नम्बर 726/402 से खसरा नम्बर 603/426 में जो गै.मु. रास्ता दर्शाया गया है वह गलत है वहां कोई रास्ता नही है इसलिए उसका उपयोग उपभोग का प्रशन ही पैदा नही होता है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए खसरा नम्बर 391/338 से होते हुए खसरा नम्बर 386 से होते हुए प्रार्थी के खेत में रास्ता जाता है। खसरा नम्बर 386 प्रार्थी का खरीद शुदा खेत है प्रार्थी राजनैतिक पहुंच रखता है अप्रार्थीगण के साथ ईश्या रखता है अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता होना बताया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है क्योकि उक्त धारा के अन्तर्गत रास्ता कायम किया जाता है न कि रास्ता खुलवाया जाता है। प्रार्थी के द्वारा खेत खसरा नम्बर 386 व 400 खरीद शुदा है जिसके केवल एक मात्र रास्ता खं.नं. 691/388 में लगता है जो कि सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी के पूर्वजों के द्वारा नजरी नक्शे में दर्ज रास्ते का कभी भी उपयोग उपभोग नही किया गया है प्रार्थी ने गलत तथ्य पेश करके यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की मारपीट नही की है तथा न ही किसी प्रकार का रास्ता बन्द किया है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ गलत नजरी नक्शा पेश किया है।प्रार्थना पत्र की धारा 5 अस्वीकार है। क्योकि प्रार्थी के पास नजरी नक्शे में जो रास्ता दिखाया गया है उसके अलावा खसरा नम्बर 391/388 में से एक रास्ता लगता है जिसका वह उपयोग उपभोग करता है नजरी नक्शे में जो रास्ता दिखाया गया है वह गलत है। अप्रार्थीगण के द्वारा कोई रास्ता बन्द नही किया गया है प्रार्थी के पास जो रास्ता है वह उसके खेत के सबसे नजदीकी रास्ता है जो कि कटानी भी है। अतिरिक्त उत्तर – खं.नं. 400 में आने जाने के लिए खेत खसरा नम्बर 399 की सिंव से होकर खसरा नम्बर 726/402 से खसरा नम्बर 603/426 में जो गै.मु. रास्ता दर्शाया गया है वह गलत है वहां कोई रास्ता नही है इसलिए उसका उपयोग उपभोग का प्रशन ही पैदा नही होता है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए खसरा नम्बर 391/338 से होते हुए खसरा नम्बर 386 से होते हुए प्रार्थी के खेत में रास्ता जाता है। खसरा नम्बर 386 प्रार्थी का खरीद शुदा खेत है प्रार्थी राजनैतिक पहुंच रखता है अप्रार्थीगण के साथ ईश्या रखता है अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में रास्ता होना बताया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है क्योकि उक्त धारा के अन्तर्गत रास्ता कायम किया जाता है न कि रास्ता खुलवाया जाता है। प्रार्थी के द्वारा खेत खसरा नम्बर 386 व 400 खरीद शुदा है जिसके केवल एक मात्र रास्ता खं.नं. 691/388 में लगता है जो कि सबसे नजदीकी रास्ता है। प्रार्थी के पूर्वजों के द्वारा नजरी नक्शे में दर्ज रास्ते का कभी भी उपयोग उपभोग नही किया गया है प्रार्थी ने

उपखण्ड अधिकारी

गलत तथ्य पेश करके यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की मारपीट नही की है तथा न ही किसी प्रकार का रास्ता बन्द किया है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ गलत नजरी नक्शा पेश किया है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है आवेदक का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया एवं रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया ।

तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 182 दिनांक 15.02.2023 को अवलोकन किया गया तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि ग्राम तेतरा के खसरा न. 399, 400, 401, 726/402 का मौका देखा। आवेदक के खेत खसरा न. 400 में पहुंच बाबत खसरा न. 399, 401 में से रास्ता चाहा गया है खसरा न. 399 व 401 में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में सिंगल डोर्टड में दर्ज रिकार्ड है खसरा न. 399 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 140 मी. व चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 560 वर्गमीटर बनता है तथा खसरा न. 401 में प्रस्तावित रास्ते में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 170 मी. व चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 680 वर्गमीटर बनता है। मौके पर उक्त रास्ता चालू है आवेदक के खेत तक ग्राम मीठवास से जाने के लिए प्रस्ताविक रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक / निकटतम रास्ता नहीं हैं। खसरा न. 726/402 खाता विभाजन में रास्ते के रूप में अंकन किया गया है जिसकी किस्म बारानी 1 है तथा रकबा 0.09 हैक्ट. है उक्त रास्ते पर मौके पर ग्रेवल सड़क डाली गयी है जिसकी खातेदारी हरजीराम, जेसाराम पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी मीठवास के नाम दर्ज रिकार्ड है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने

उपखण्ड अधिकारी

का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत खसरा न. 400 में पहुंच बावत खसरा न. 399, 401 में से रास्ता चाहा गया है खसरा न. 399 व 401 में उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में सिंगल डोर्टड में दर्ज रिकार्ड है आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु 399 व 401 में से होकर गुजरने वाले रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि अथवा डी.एल.सी की दुगुनी दर से राशि दिये जाने की सहमती दी है। परन्तु धारा 251क में रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत खसरा नम्बर 400 में आने–जाने के लिय निकटतम दूरी खेत खसरा खसरा न. 399 में रास्ते की लम्बाई 140 मी. व चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 560 वर्गमीटर तथा खसरा न. 401 में रास्ते की लम्बाई 170 मी. व चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 680 वर्गमीटर तक 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है, को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी